बिहार सरकार

## मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

### अधिसूचना

पटना, दिनांक–................

संख्या–8/आ0 (राज0उ0)–2–26/2016 2776 /श्री प्रियरंजन, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, गोपालगंज सम्प्रति सीवान के विरूद्ध दिनांक 16.08.2016 को गोपालगंज जिला में हुई जहरीली कांड में अवैध शराब का निर्माण एवं चौर्य व्यापार पर प्रतिबंध लगाने पर असफल, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतना तथा प्रभावकारी पर्यवेक्षण एवं अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण का अभाव आदि आरोप में विभागीय संकल्प सं0–345 दिनांक–25.01.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त उत्पाद, पटना–सह–मगध प्रमंडल, पटना द्वारा अपने पत्रांक–16 दिनांक 28.01.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें निष्कर्षित किया गया है कि आरोपित पदाधिकारी का स्पष्टीकरण, समर्पित साक्ष्यों के आलोक में आरोपित पदाधिकारी पर लगाया गया आरोप सं0–01, 02 प्रमाणित नहीं होता है एवं आरोप सं0–03 आंशिक प्रमाणित होता है। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से आरोप सं0–01 एवं 02 में असहमत होते हुए एवं आरोप सं0–03 में प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक–539 दिनांक–14.02.2019 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गई । आरोपित पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–201 दिनांक–15.02.2019 द्वारा द्वितीय बचाव वयान समर्पित किया गया जिसमें आरोपों से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री प्रियरंजन, अधीक्षक उत्पाद, गोपालगंज सम्प्रति अधीक्षक मद्य निषेध, सीवान के विरूद्ध वर्ष 2016–17 के आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 (i) के तहत् " निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अभय राज )
सरकार के अपर सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–8/आ0(राज0 उ0)–2–26/2016 –............../ पटना, दिनांक–..................

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–8/आ0(राज0 उ0)–2–26/2016 –............../ 2776 पटना, दिनांक– 02.08.19

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/राजपत्रित स्थापना प्रशाखा–5/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री प्रियरंजन, अधीक्षक उत्पाद, गोपालगंज सम्प्रति अधीक्षक मद्य निषेध, सीवान को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
बिहार, पटना।